बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–20/2017 / 190 /पटना, दिनांक:– 05/07/23

कार्यालय आदेश

श्री नवीन किशोर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4085 दिनांक–18.08.2017 के साथ संलग्न प्रमुख प्रशासन, निगम मुख्यालय, पटना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि० के पत्रांक–6675 दिनांक–11.07.2017 के साथ संलग्न आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–87 सहपठित ज्ञापांक–513 दिनांक–23.02.2018 द्वारा श्री नवीन किशोर पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), सीतामढ़ी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री नवीन किशोर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में रून्नीसैदपुर गोदाम में संधारित होने वाले मूल पंजियों एवं कागजातों के साथ फरार होने, रून्नीसैदपुर गोदाम के जुलाई, 2016 से सितंबर, 2016 तक का संबंधित पंजियों की परफोरेटेड प्रति एवं एस०आई०ओ० की सेवित प्रति जमा नहीं कर क्षति/गबन की राशि को छुपाने का प्रयास करने, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा दिये गये अतिरिक्त आवंटन के द्वारा जाली भंडार निर्गमादेश के माध्यम से 624.82 क्विंटल गेहूँ एवं 937.23 क्विंटल चावल माह जून, 2016 में ही पूर्व के माहों यथा–अक्टूबर, 2015 एवं नवंबर, 2015 के लिए खाद्यान्न गलत ढंग से निर्गत दर्शाकर हेरा–फेरी करने एवं 4 जी० आईडेन्टीटी कं० के जिला आई०टी मैनेजर श्री गौरव कुमार एवं निगम पदाधिकारी से मिलीभगत कर भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा एवं आर्थिक क्षति पहुँचाने का प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित होने संबंधी आरोप गठित किये गये हैं।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), सीतामढ़ी के पत्रांक–163/वि०जाँ०, दिनांक–26.06.2020 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :–

" आरोप प्रपत्र 'क', आरोपी का स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य देखने, संचिका पर उपलब्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधित कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी श्री नवीन किशोर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रून्नीसैदपुर–सह–सहायक प्रबंधक के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं । "

4. संचालन प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री नवीन किशोर से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री नवीन किशोर ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

(i) बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार के मुख्यालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा सीतामढ़ी जिलांतर्गत दो गोदामों यथा रून्नीसैदपुर गोदाम और सोनबरसा गोदाम में जाँच किया गया।

(ii) उपरोक्त वर्णित जाँच समिति द्वारा उनके अनुपस्थिति में जाँच कर दिनांक–25.10.2016 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जाँच दल द्वारा रून्नीसैदपुर गोदाम का भौतिक रूप से जाँच नहीं किया गया क्योंकि गोदाम सील था, इसलिए उक्त जाँच दल ने जिला कार्यालय में उपलब्ध रून्नीसैदपुर गोदाम के अभिलेखों की जाँच किया।

(iii) उक्त जाँच दल द्वारा बिना गोदाम के भौतिक जाँच के यह निष्कर्ष दिया गया कि 624.82 क्विंटल गेहूँ और 937.23 क्विंटल चावल का गलत तरीके से SIO निर्गत किया गया, जो स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जाँच किया गया।

(iv) आरोप सं०–1 में लगाये गये आरोप को गलत बताते हुए श्री किशोर द्वारा कहा गया है कि कभी भी उस गोदाम से संबंधित अभिलेख लेकर नहीं भागे हैं, बल्कि सारे अभिलेख गोदाम में रखे गये हैं। डायविटीज और उच्च रक्तचाप से ग्रसित होने के चलते प्रासंगिक समय में समस्या के चलते डाक्टर के यहॉ गये थे जो जाँच के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दिये। प्रासंगिक समय में गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उनके द्वारा गोदाम का अभिलेख लेकर भागने या गायब होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे संबंधित अभिलेख गोदाम में थे और बाकी अभिलेख इनवार्ड रजिस्टर, गोदाम रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर उनके द्वारा दिनांक–28.02.2017 को जमा कर दिये गये थे। गोदाम का समुचित तरीके से जाँच किया जाता तो सारे अभिलेख गोदाम में ही पाये जाते।

(v) बचे अभिलेख उनके द्वारा विभाग में जमा किये गये जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। अभिलेखों को अद्यतन करने में विलंब का कारण अन्य कार्यो में व्यस्तता है, क्योंकि वे प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थापित हैं।

(vi) जाँच प्रतिवेदन में कहीं भी उनके उपर लगाये गये आरोप उन्हें दोषी नहीं मानता है और उनके साथ–साथ तत्कालीन IT Manager और निगम के पदाधिकारी भी दोषी बनाये गये हैं। जो जाली SIO निर्गत करने का आरोप लगाया गया है वह जाँच प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है, न ही SIO की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया गया है। यह केवल अस्पष्ट आरोप है जो साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

(vii) PDS डीलर द्वारा खाद्यान्नों एवं Form को राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमा किया जाता है जहॉ से SIO संबंधित गोदाम मैनेजर को निर्गत किया जाता है। उनके द्वारा राज्य खाद्य निगम के कार्यालय द्वारा निर्गत SIO के आधार पर खाद्यान्न निर्गत किये गये । ये SIO भी कार्यालय में जमा किये गये तथा साथ ही रून्नीसैदपुर PS Case No. 421/2016 दिनांक–17.10.2016 के I.O. के समक्ष भी।

जाँच पदाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर विश्वास किया है, जिससे जाँच प्रतिवेदन अप्रभावकारी है। जाँच प्रतिवेदन बिना औचित्यपूर्ण प्रतिवेदन है और जाँच प्रतिवेदन बिना कारण का है जिसपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पूरी कार्यवाही प्रारंभ से लेकर जाँच प्रतिवेदन जमा होने तक दोषपूर्ण है जिसमें बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है।

5. श्री नवीन किशोर के द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण में कहा गया था। उनके

" जन्म हो या मरण, जरूरी है पंजीकरण"

द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव श्री किशोर का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी के पत्रांक–907 दिनांक–25.06.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक–748 दिनांक–25.01.2017 के अनुसार क्षति/गबन या अन्य किसी प्रकार से खाद्यान्न में हुई कमी की बसूली हेतु 2015–16 के लिए चावल का आर्थिक दर–3258/– रूपया प्रति क्विंटल एवं गेहूँ का आर्थिक दर–2344.80/–रूपया प्रति क्विंटल निर्धारित है। श्री नवीन किशोर के विरूद्ध आरोप पत्र में जाली भंडार निर्गमादेश के माध्यम से 624.82 क्विंटल गेहूँ जिसका वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित आर्थिक दर 2344.80/–रूपये प्रति क्विंटल से 1465077.94/– रूपये एवं 937.23 क्विंटल चावल का आर्थिक दर 3258/–रूपये प्रति क्विंटल से 3053495.34/– रूपये कुल 4518573.28/– रूपये (पैंतालीस लाख अठारह हजार पाँच सौ तिहत्तर रूपये अठाईस पैसे) होता है, के हेरा–फेरी किये जाने का एवं अन्य आरोप है, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री नवीन किशोर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री नवीन किशोर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) में किये गये प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से श्री नवीन किशोर के पेंशन में से 50% (पचास प्रतिशत) की राशि की काटौती पूरे जीवन काल के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

साथ ही जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी श्री नवीन किशोर के विरूद्ध दायर नीलामपत्र वाद के माध्यम से उनके द्वारा गबन की गयी राशि की बसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–20/2017 1162 /पटना, दिनांक :– 05/07/23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–4085 दिनांक–18.08.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रमुख प्रशासन, निगम मुख्यालय, पटना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि० को उनके पत्रांक–6675 दिनांक–11.07.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. उप निदेशक (सां०) तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

0463 स्था०1 (का०आ) (28 जून, 2023) नवीन किशोर.

10. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रति श्री नवीन किशोर को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रति श्री नवीन किशोर को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13. श्री नवीन किशोर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक प्रबंधक, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी संप्रति सेवानिवृत, पता–ग्राम–शेखोपुर, थाना–सहदेई बुजुर्ग, जिला–वैशाली (हाजीपुर)को सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/23

निदेशक

0463 स्था0 1 (का0आ0) (28 जून, 2023)नवीन किशोर.